

प्रपत्र VI 'क'  
झारखण्ड सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अर्जन निदेशालय)

या

समाहर्ता या समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

संख्या-327/भू0अ0,

मेदिनीनगर, दिनांक- 30-08-2016

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-सगालिम, थाना-पांकी, थाना सं0-406, अंचल पांकी, जिला-पलामू में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना सगालिम-तरहसी-पदमा पहुँच पथ निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-सगालिम, थाना-पांकी, थाना सं0-406, अंचल पांकी, जिला-पलामू में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 2.77 एकड़ यानि 1.121 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1.	82	77	गै0मा0	परती कदीम	0.14	-	77	77	74	1822
2.	82	77	गै0मा0	परती कदीम	0.03	-	77	77	77	1822
3.	157	77	गै0मा0	परती कदीम	0.07	कुदरत मियाँ पिता बुधन मियाँ	77	77	77	78
4.	156	77/ 1866	गै0मा0	परती कदीम	0.32	कमलेश्वर सिंह वो देवसागर सिंह पिता स्व0 तलु सिंह	77	77	77	78
5.	155	77/ 1865	गै0मा0	परती कदीम	0.17	सोवती देवी पिता कमेश माँझी	77	77	77	77
6.	82	77	गै0मा0	परती कदीम	0.07	-	77	77	77	77
7.	168	77	गै0मा0	परती कदीम	0.07	सहादेव महतो पिता मोहर महतो	77	77	77	77
8.	58	78	गै0मा0	टाइ III	0.40	नरसिंह दुबे पिता रामगुलाम दुबे	78	78	77	77
9.	58	78	गै0मा0	परती कदीम	0.15	-	78	78	77	77
10.	58	77	गै0मा0	-	0.09	-	78	78	77	77
11.	82	77	गै0मा0	परती कदीम	0.22	-	77	78	77	77
12.	82	77	गै0मा0	परती कदीम	0.23	-	77	78	77	77
13.	168	77	गै0मा0	परती कदीम	0.24	सहादेव महतो पिता मोहर महतो	77	78	77	77
14.	168	77	गै0मा0	परती कदीम	0.16	कुलदीप महतो पिता रमेश्वर महतो	77	78	78	77
15.	157	77	गै0मा0	परती कदीम	0.11	पंकज कुमार सिंह पिता विदेश सिंह	77	78	78	77
16.	157	74	गै0मा0	परती कदीम	0.10	तदैव	74	सड़क	सड़क	77
17.	158	74	गै0मा0	परती कदीम	0.04	रापति देवी पति रामखेलावन साव	74	सड़क	सड़क	77
18.	158	74	गै0मा0	परती कदीम	0.04	तदैव	74	सड़क	सड़क	77
19.	158	74	गै0मा0	परती कदीम	0.06	रापति देवी पति रामखेलावन साव	74	सड़क	सड़क	77
20.	158	74	गै0मा0	परती कदीम	0.06	तदैव	74	सड़क	सड़क	77



यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू अर्जन पदाधिकारी पलामू के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी पलामू और संबंधित राजस्व कर्मचारी अंचल पांकी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी पलामू के समक्ष दर्ज की जा सकेंगी।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
पलामू।  
26-8-16

अपर समाहर्ता,  
पलामू।

27/08/16  
उपायुक्त, पलामू।